

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था. (विधान सभा)--12-04/2011...../राँची, दिनांक :...../

—: कार्यालय आदेश :—

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा, का षष्ठम् (मानसून) सत्र दिनांक 22.07.2016 से दिनांक 29.07.2016 तक आहूत की गई है। उक्त सत्र के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में विभागीय पदाधिकारियों की प्रतिदिन उपस्थिति के निमित्त कार्य दिवस में तिथिवार भाग लेने हेतु निम्नलिखित सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/वर्तमान पदस्थापन/ मोबाईल नम्बर	झारखण्ड विधान सभा में प्रतिनियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री शंकर प्रसाद सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, बांध एवं गेट रूपांकण अंचल-01, राँची, 9835903347	25.07.2016	
2.	श्री मोहन चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची, 9835148687		
3.	श्री राजेन्द्र रविदास, सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची, 9939107170	26.07.2016	
4.	श्री सुरेश राम, सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची, 9546524557		
5.	श्री विजय कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची,	27.07.2016	
6.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, योजना आयोजन अंचल, राँची सम्प्रति उड़नदस्ता, 9431327330		
7.	श्री अरुण कुमार, सहायक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची 9473351865	28.07.2016	
8.	श्री सिद्धान्त कुमार, सहायक अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची, 9608180248		



1	2	3	4
9.	श्री मकर चौधरी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची, 9431393520	29.07.2016	
10.	श्री लक्ष्मी नारायण, सहायक निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, रॉची, 9973536953		

2. संबंधित सहायक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि सदन में उठाये जाने वाले विषयों के संबंध में अपनी चर्चा टिप्पणी प्रतिदिन विभागीय सचिव/विधान सभा कोषांग (प्रशाखा-06) को उसी दिन 5.00 बजे अपराह्न में उपलब्ध करायेगें ताकि विधान सभा सत्र के दौरान उठाये जाने वाले मामले पर समुचित कार्रवाई की जा सके।

3. विधान सभा परिसर/पदाधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्रक प्रतिनियुक्ति की तिथि के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे संबंधित पदाधिकारी विधान सभा कोषांग (प्रशाखा-06) से प्राप्त कर लेंगे।

4. संबंधित सहायक अभियंता, उप सचिव (अभियंत्रण) एवं अवर सचिव, प्रशाखा-06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क में रहेंगे एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

5. मोबाईल नं.

(i) उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची, 9470522057

(ii) अवर सचिव, प्रशाखा-06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची, 9430777067

ह./-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/अवर सचिव, प्रशाखा-06, प्रभारी (विधान सभा कोषांग) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3674

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)